

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।**  
पत्रांक 4957 / 14-1, बरेली, दिनांक, 27/5/23 मई, 2023 ।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त, बरेली।

विषय:- जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूं कैंप मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0316 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक शून्य वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।  
(Online Proposal No. FP/UP/Pipeline/153250/2022)

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 11-सी-3340 FP/UP/Pipeline/153250/2022, दिनांक 20.04.2023 के द्वारा प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 995/81-2-2023-800(387)/2022 दिनांक 13.04.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश सरकार के उक्त आदेश पत्र दिनांक 13.04.2023 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष प्रस्तावक विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन आख्या अपने पत्रांक GAIL/CGD/ Bareilly /223, दिनांक 25.05.2023 से प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-1) प्रस्तावक विभाग से प्राप्त अनुपालन आख्या के अनुसार सहमति सहित अनुपालन आख्या निम्नवत् नियत प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है-

| शर्त संख्या | शर्त                                                                                                                                                                                                                                                  | शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Legal status of the forest land shall remain up unchanged.                                                                                                                                                                                            | शर्त संख्या-1, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-1)                                                                                                                      |
| 2.          | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA Fund only through e-portal.                                                                                                                     | शर्त संख्या-2, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फंड के ई-पोर्टल पर जमा की जा चुकी है, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)                                                                  |
| 3.          | The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned district collector.                                                                                                                     | शर्त संख्या-3, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस compliance report के साथ complete compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। (संलग्नक-3)                                                                                                                         |
| 4.          | User agency shall obtain Environmental clearance as per the provisions of the Environmental (protection) Act, 1986, if applicable.                                                                                                                    | शर्त संख्या-4, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड को पर्यावरण की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                                                                                      |
| 5.          | The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.                                                                                                                                                    | शर्त संख्या-5, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-4)                                                                                              |
| 6.          | No labour camp shall be established on the forest land.                                                                                                                                                                                               | शर्त संख्या-6, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-5)                                                                                                                  |
| 7.          | Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user Agency to the laborers after purchasing the same from the state Forest Department or the forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel. | शर्त संख्या-7, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन कय कर को उपलब्ध कराया जायेगा। (संलग्नक-6)                                                                                             |
| 8.          | The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency of the project life, whichever is less                                                                           | शर्त संख्या-8, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि, अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी। (संलग्नक-7)                                                                     |
| 9.          | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India.                                                                            | शर्त संख्या-9, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-8)                           |
| 10.         | Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action taken as per MOEF & CC Guidelines F. No. 11-42/2017-FC dated 29-01-2018                                                                   | शर्त संख्या-10, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11- 42/2017-FC dt 29-01-2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी। (संलग्नक-9) |
| 11.         | Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulated from time in the interest of                                                                                                                             | शर्त संख्या-11, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु                                                                                                                                                                 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | conservation, protection and development of Forest & Wildlife.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवं वन्य जीव के संरक्षण/ सुरक्षा एवं विकास के लिये समय-समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी, उसका अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-10)                                                                                                                                                                                           |
| 12. | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> )                                                                                                                                                                                                                                   | शर्त संख्या-12, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। (संलग्नक-11)                                                                                                                                                                                         |
| 13. | गैस पाइप लाइन/ टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे ही बिछाये जायेंगे।                                                                                                                                                                                                                                    | शर्त संख्या-13, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे पर ही बिछायी जायेगी। (संलग्नक-12)                                                                                                                                                                   |
| 14. | गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                 | शर्त संख्या-14, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी० से अधिक नहीं होगी। (संलग्नक-13)                                                                                                                                           |
| 15. | प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।                                                                                                                                                                                                                                            | शर्त संख्या-15, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। (संलग्नक-14)                                                                                                                                                              |
| 16. | प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                 | शर्त संख्या-16, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-15)                                                                                                                                          |
| 17. | वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।                                                                                                                                                                                       | शर्त संख्या-17, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। (संलग्नक-16)                                                                                  |
| 18. | प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                           | शर्त संख्या-18, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी। (संलग्नक-17)                                                                                                                                                      |
| 19. | भूमि का सरफेस साइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् वन भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।                                                                                                                                                                            | शर्त संख्या-19, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा। (संलग्नक-18)                                                                                      |
| 20. | प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/ प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।                                                                                                                                                        | शर्त संख्या-20, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-19)                                                                                                                 |
| 21. | प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।                                                                                                                                                                                                                                               | शर्त संख्या-21, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-20)                                                                                                                        |
| 22. | भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-1(1), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है। | इस सम्बन्ध में यह प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23. | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्या सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाईल में दर्शाया गया हो।                                                      | शर्त संख्या-23, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा फाइल में दर्शाया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (संलग्नक-21) |
| 24. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।                                                                                                                                 | उक्त परियोजना में अपशिष्ट उपलब्ध नहीं है जिस कारण मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र वांछित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25. | नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                  | अपेक्षित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. | प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शर्त संख्या-26, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा/फाना संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किये जायेंगे। (संलग्नक-22)                                                                                                                                                                                |
| 27. | प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।                                                                                                                                     | शर्त संख्या-27, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिए नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-23)                                                                                                                                                         |
| 28. | उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शर्त संख्या-28, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी। (संलग्नक-24)                                                                                    |
| 29. | प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में बाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। | शर्त संख्या-29, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग बरेली के पत्र संख्या 4749/14-1, बरेली दिनांक 10.05.2023 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0प0316 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0 पी0 वी0) की धनराशि 30,266-/- ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा की जा चुकी है। जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है |
| 30. | राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शर्त संख्या-30 अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 से अंकित 02 बिंदुओं से गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिंदु का अनुपालन गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। (संलग्नक-26)                                                                                                                                                    |
| 31. | उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात् विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                             | शर्त संख्या-31, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित है, वांछित प्रमाण पत्र संलग्न हैं। (संलग्नक-27)                                                                                                                                                                                                  |
| 32. | प्रश्नगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/ संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्या छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्या प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।                                                                                                                                                                                              | अपेक्षित नहीं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### प्रारूप-2

| शर्त संख्या | भारत सरकार की इंगित शर्त            | अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर की स्थिति |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 01          | 02                                  | 03                                 |
| 02          | क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि     | —                                  |
|             | क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की जमा धनराशि | —                                  |
|             | धनराशि में अंतर                     | —                                  |
|             | अंतर का कारण                        | —                                  |
| 03          | एनपीबी की धनराशि                    | 30,266.00                          |
|             | एनपीबी की जमा धनराशि                | 30,266.00                          |
|             | धनराशि का अंतर                      | —                                  |
|             | अंतर का कारण                        | —                                  |
|             | अन्य जमा धनराशि                     | —                                  |
|             | कैम्पा द्वारा सुनिश्चित             | —                                  |

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको की चार-चार प्रतियाँ सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय  
( समीर कुमार )  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।



# गेल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)

**GAIL (India) Limited**

(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

एच. वी. जे. कम्प्रेसर स्टेशन, दिबियापुर  
पोस्ट-दिबियापुर, जिला-औरैया  
(उ.प्र.)-206244

H.V.J. Compressor Station, Dibiyapur  
Post-Dibiyapur, Distt. Auraiya  
(U.P.)-206244

फोन/ Phone : +91-5683-282355

फैक्स/ Fax : +91-11-26185941

ईमेल/ E-Mail : info@gail.co.in

पत्रांक:- GAIL/CGD/Bareilly/223

दिनांक:- 25/05/2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

बरेली

विषय:- जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ रोड मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- F/225/ Pipeline /153250/ 2022)

सन्दर्भ:- सचिव उ० प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक - 995/81-2-2023-800(387)/ 2022 दिनांक 13.04.2023 एवं आपका पत्रांक 4749/14-1, बरेली दिनांक 10.05.2023

महोदय,

कृपया उपर्युक्त सचिव उ० प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक पी 995/ 81-2-2023-800(387)/ 2022 दिनांक 13.04.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत बताया है कि, उ० प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक 995/ 81-2-2023-800(387)/ 2022 दिनांक 13.04.2023 द्वारा कृपया शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसके क्रम में आपके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों के अनुपालन के हेतु लिखा गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों की बिंदुवार अनुपालन आख्या व प्रमाण- पत्रों की 05-05 प्रतियाँ मूल में संस्तुत सहित इस प्रस्ताव के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार अपने स्तर में उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

पंजीकृत कार्यालय:

गेल भवन, 16 भीकाएजी कामा प्लेस  
नई दिल्ली-110066, इंडिया

REGD. OFFICE :

GAIL BHAWAN, 16 BHIKAJI CAMA PLACE  
NEW DELHI-110066, INDIA

|  गेल (इंडिया) लिमिटेड<br>ऑब्लिगो मॉडर्नस बेस |          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| S.No.                                                                                                                           | Page No. | Date of Dispatch |
| 106                                                                                                                             | 17       | 26/05/2023       |

  
गेल (इंडिया) लिमिटेड  
(महारत्न कं. भारत सरकार)  
ऑब्लिगो मॉडर्नस बेस

पोस्ट-इफको टाउनशिप, बरेली-243403  
फोन : 0522-243403

सीआईएन/ CIN  
L40200DL1984GOI018976

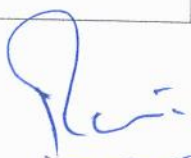
www.gailonline.com



| क्र० | अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                     | अनुपालन आख्या का निस्तारण                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Legal status of the forest land shall remain up unchanged.                                                                                                                        | शर्त संख्या-1, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-1)                                                     |
| 2.   | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA Fund only through e-portal.                                                 | शर्त संख्या-2, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फंड के ई-पोर्टल पर जमा की जा चुकी है, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2) |
| 3.   | The complete compliance of the FRA,2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.                                                  | शर्त संख्या-3, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस Compliance report के साथ Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। (संलग्नक-3)                                                        |
| 4.   | User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.                                                | शर्त संख्या-4, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड को पर्यावरण की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।                                                                                                                                     |
| 5.   | The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.                                                                                | शर्त संख्या-5, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-4)                             |
| 6.   | No labour camp shall be established on the forest land.                                                                                                                           | शर्त संख्या-6, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-5)                                                 |
| 7.   | Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborers after purchasing the same from the state Forest Department or the Forest | शर्त संख्या-7, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचन बद्धता दी जाती है कि उ० प्र० वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर को उपलब्ध कराया                                            |

गैल इण्डिया लिमिटेड  
 (एन.एल. को. प्र. लि.)  
 अखिल भारतीय  
 फोरेस्ट डेफेंस फंड, बरेली-243403  
 फोन : 05812 404969

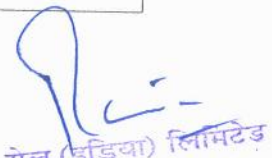
|     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Department Corporation or any other legal source of alternate fuel.                                                                                                                              | जायेगा। (संलग्नक-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.                     | शर्त संख्या-8, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी। (संलग्नक-7)                                                                          |
| 9.  | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Govt. of India.                       | शर्त संख्या-9, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-8)                               |
| 10. | Violation of any of these conditions will amount to Violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action taken as per MOEF & CC Guidelines F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.             | शर्त संख्या-10, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी। (संलग्नक-9).     |
| 11. | Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may Stipulated from time to time in the interest of conservation, Protection and development of Forest & Wildlife. | शर्त संख्या-11, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवम विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी, उसका अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-10). |
| 12. | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> )                                                                          | शर्त संख्या-12, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। (संलग्नक-11)                                                                                                                               |
| 13. | गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/                                                                                                                                                                      | शर्त संख्या-13, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड                                                                                                                                                                                                                                                    |

  
 गैल (इंडिया) लिमिटेड  
 (महाराष्ट्र, भारत सरकार)  
 ऑक्ला मेंटिनेंस जेस  
 मोरारजी देसाय रोड, बंगली-243403  
 12 404969



|     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | मार्गों/सड़को/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे ही बिछाये जायेंगे।                                                                            | द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे पर ही बिछायी जायेगी।(संलग्नक-12)                                                                                                                                    |
| 14. | गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।                                            | शर्त संख्या-14, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी। (संलग्नक-13)                                                         |
| 15. | प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।                                                       | शर्त संख्या-15, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।(संलग्नक-14)                                                                              |
| 16. | प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।                            | शर्त संख्या-16, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-15)                                                         |
| 17. | वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।  | शर्त संख्या-17, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। (संलग्नक-16) |
| 18. | प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।                                                                      | शर्त संख्या-18, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।(संलग्नक-17)                                                                      |
| 19. | भूमि का सरफेस साइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना | शर्त संख्या-19, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस साइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | रहेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा। (संलग्नक-18)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. | प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।                                                                                                                                                         | शर्त संख्या-20, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-19)                                                                                                                  |
| 21. | प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।                                                                                                                                                                                                                                               | शर्त संख्या-21, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-20)                                                                                                                        |
| 22. | भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-1A-1(1), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है। | इस सम्बन्ध में यह प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23. | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाईल में दर्शाया गया हो।                                                       | शर्त संख्या-23, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98- एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा फाईल में दर्शाया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (संलग्नक-21) |
| 24. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की                                                                                                                                                                                             | उक्त परियोजना में अपशिष्ट उपलब्ध नहीं है जिस कारण मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र वांछित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                      |

  
 गैल (इंडिया) लिमिटेड  
 (महानगर, भारत सरकार)  
 ऑबला मेंटिनेंस वेस  
 ग्रेट इफको टाउनशिप, बरेली-243402  
 फोन : 05812 404969



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25. | नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।                                                                                                                                                                                                                       | अपेक्षित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26. | प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आर-पास के फलोरा (वनस्पति/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                             | शर्त संख्या-26, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा / फाना संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किया जायेगा।(संलग्नक-22)                                                                                                                                                                                |
| 27. | प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।                       | शर्त संख्या-27, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा।(संलग्नक-23)                                                                                                                                                         |
| 28. | उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।                                                                                                                                                                                                | शर्त संख्या-28, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी। (संलग्नक-24)                                                                                    |
| 29. | प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के कम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण | शर्त संख्या-29, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग बरेली के पत्र संख्या 4749/14-1, बरेली दिनांक 10.05.2023 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य( एन० पी० वी०) की धनराशि 30,266/- ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा की जा चुकी है। जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है। |

गैल (इण्डिया) लिमिटेड

(महाराज कॉ. भारत सरकार)

ऑडला मेंटिनेंस बेस

पोस्ट इफको टाउनशिप, बरेली-243403

फोन : 05812 404969

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।                                                                                                                                                                  | ।(संग्रक-25)                                                                                                                                                                                                            |
| 30. | राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।                                                                                                           | शर्त संख्या-30, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 में अंकित 02 बिंदुओं में गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिंदु का अनुपालन गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।(संग्रक-26) |
| 31. | उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात् विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।                                                                            | शर्त संख्या-31, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित है, वंछित प्रमाण पत्र संग्रह है। (संग्रक-27)                                                   |
| 32. | प्रश्नगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। | अपेक्षित नहीं है                                                                                                                                                                                                        |

भवदीय



गैल (इण्डिया) लिमिटेड  
 मुख्य प्रबंधक-परिधीन (राज्य सरकार)  
 आवेदन नं. 243403  
 गैल इण्डिया लिमिटेड, बरेली-243403  
 फोन : 05812 404969



जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 01

शर्त संख्या1-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

  
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
गैल (इण्डिया) लिमिटेड  
(भारत सरकार द्वारा नियोजित)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफको टाउनशिप, बरेली-243403  
फोन : 05812 404909

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 02

शर्त संख्या2-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ईपोर्टल पर जमा की जा चुकी है, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत हस्ताक्षरक गैल इण्डिया लिमिटेड  
(पदार्पण कं. भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफको टाउनशिप, कोटवा 2213403  
फोन : 05812 430209



**AGENCY COPY**

यूनियन बैंक Union Bank of India  
आंध्र प्रदेश शाखा

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds  
Date : 22-05-2023

|                  |                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agency Name.     | GAIL INDIA LIMITED                                                                                                                             |
| Application No.  | 72153250613                                                                                                                                    |
| MoEF/SG File No. | 995/81-2-2023-800(387)/2022                                                                                                                    |
| Location.        | UTTAR PRADESH                                                                                                                                  |
| Address.         | GAIL (India) Limited,<br>Registered office: GAIL<br>Bhawan, 16 Bhikaiji Cama<br>Place, R. K. Puram, New<br>Delhi, India - 110066 South<br>West |
| Amount(in Rs)    | 30266/-                                                                                                                                        |

Amount in Words :Thirty Thousand Two Hundred and Sixty-Six Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiary Name:    | UTTAR PRADESH CAMPA                                                                                      |
| IFSC Code:           | UBIN0996335                                                                                              |
| Pay to Account No.   | 1509072153250613<br>Valid only for this<br>challan amount.                                               |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre, 21/1, III Floor,<br>Jelitta Towers, Misslon<br>Road, Bengaluru-560027 |

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**BANK COPY**

यूनियन बैंक Union Bank of India  
आंध्र प्रदेश शाखा

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds  
Date : 22-05-2023

|                  |                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agency Name.     | GAIL INDIA LIMITED                                                                                                                             |
| Application No.  | 72153250613                                                                                                                                    |
| MoEF/SG File No. | 995/81-2-2023-800(387)/2022                                                                                                                    |
| Location.        | UTTAR PRADESH                                                                                                                                  |
| Address:         | GAIL (India) Limited,<br>Registered office: GAIL<br>Bhawan, 16 Bhikaiji Cama<br>Place, R. K. Puram, New<br>Delhi, India - 110066 South<br>West |
| Amount(in Rs)    | 30266/-                                                                                                                                        |

Amount in Words :Thirty Thousand Two Hundred and Sixty-Six Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiary Name:    | UTTAR PRADESH CAMPA                                                                                      |
| IFSC Code:           | UBIN0996335                                                                                              |
| Pay to Account No.   | 1509072153250613<br>Valid only for this<br>challan amount.                                               |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre, 21/1, III Floor,<br>Jelitta Towers, Misslon<br>Road, Bengaluru-560027 |

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

NEFT UTR NO. - SBIN423142968052

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली



Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

| Proposal Detail                                                                                                                                                                               | Application_No        | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)                                                                                                                     |                                                                    |  | Payment Status                                                                           | Payment Detail                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FP/UP/Pipeline/153250/2022<br>Diversion of 0.0316 Ha of<br>Protected Forest Land in<br>Bareilly District for LMC GAIL<br>SV 11 Chaubari to HPCL CGS<br>Station of total length of<br>0.785 Km | PIPELINE1532502022613 | 72153250613          | 13 Apr 2023          | CA: 0/- ,<br>PCA: 0/- ,<br>Safety Zone: 0/- ,<br>NPV: 30266/- ,<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 30266/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/- |  |  Paid | Fund Demand Verified by :11 May 202<br>Nodal Officer On<br>Bank Name :Union Bank<br>Mode of Payment :NEFT/RTGS<br>Challan Generated On :22 May 202<br>Transaction Date :23 May 202 |

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

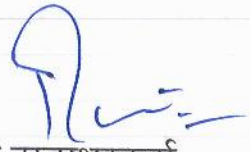


जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 03

शर्त संख्या3-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस Compliance report के साथ Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
गैल (इंडिया) लिमिटेड  
गैल इण्डिया लिमिटेड (सरकार)  
ऑबिला मोटर्स बेस  
पोस्ट इफको टाउनशिप, ब्लॉक-112403  
फोन : 05812 407129

FORM-II

(For linear projects other than Plantations)

[Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh  
Office of District Collector, Bareilly

No. MEMO/14-2 Dated 07/06/2022

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that "0.0316" hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **GAIL (India) Limited** (name of user agency) for supplying of **Natural Gas to HPCL CGS Station** (purpose for diversion of forest land) in the district falls within the jurisdiction of Bareilly, Village Anguri in Bareilly tehsil. It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.0316 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachment Nil to attachment Nil;
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl.: As above.

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बरेली

(Shivakant Dwivedi)  
Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)  
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी  
बरेली

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली



जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 05

शर्त संख्या5-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान में कोई परिवर्तन - नहीं किया जायेगा।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लिमिटेड  
(महारल क, भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
प्रायोजक इण्डिया लिमिटेड, बरेली 221003  
फोन : 05812 41111

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 06

शर्त संख्या6-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत, गैल इण्डिया लिमिटेड  
(महानगर, भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफको टर्मिनस, बरेली-223403  
फोन : 05812 404909

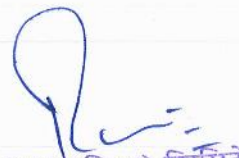


जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 07

शर्त संख्या7-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचन बद्धता दी जाती है कि उ0 प्र0 वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर को उपलब्ध कराया जायेगा।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(गैल इण्डिया लिमिटेड)  
ऑबला मेंटिनेंस बेस  
गैल इण्डिया लिमिटेड-243403  
फोन : 05812 404969

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 08

शर्त संख्या8-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी।

  
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरे की  
(महामन्य, भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट बॉक्स टाउनशिप, बरेली-243403  
फोन : 05812 404969



जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 09

शर्त संख्या9-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लिमिटेड  
(महारत्न कं. भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफको टाउनशिप, बरेली-243403  
फोन : 05812 404969

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 10

शर्त संख्या10-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980-का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(गैल इण्डिया लिमिटेड)  
(महोदय के, भारत सरकार)  
ऑडिटिंग मैनिजेंट बेस  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफेक्टिव डेट ऑफ, बरेली-243403  
फोन : 05812 404909



जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 11

शर्त संख्या 11-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण सुरक्षा एवम विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी / जायेगी, उसका अनुपालन किया जायेगा।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

गैल इण्डिया लिमिटेड  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(भारत सरकार)  
ऑबला मेंटेंस बेस  
गैल इण्डिया लिमिटेड, बरेली-143403  
फोन : 05812 40111-9

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 12

शर्त संख्या12-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

  
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
गैल (इंडिया) लिमिटेड  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
ऑब्लिगो मॉडर्न बेस  
पोस्ट इफको टाऊनशिप, बरेली  
फोन : 05012



जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 13

शर्त संख्या13-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे पर ही बिछायी जायेगी।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
गैल (इंडिया) लिमिटेड  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ऑबला मेंटेनेंस बेस  
गैल इण्डिया लिमिटेड बरेली-243403  
फोन : 05812 404969

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 14

शर्त संख्या-14, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नहीं होगी।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लिमिटेड  
(महत्वांक, भारत सरकार)  
ऑफिस रजिस्ट्रार बेस  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
फोन : 05812 404969



जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 15

शर्त संख्या 15-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भूक्षरण की - सम्भावना न हो।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत   
(महारत्न कं. भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफिलेक्ट प्रभाग

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 16

शर्त संख्या16-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
गैल (इण्डिया) लिमिटेड  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(प्रकार में प्रमाणित)  
ऑफला मेंटिनेंस बेस  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
फोन : 05812 404969



जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### **वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 17**

शर्त संख्या17-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

  
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

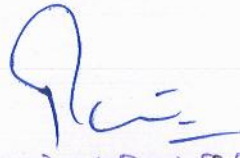
  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
गैल (इण्डिया) लिमिटेड  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
आबला मॉडर्नस बेस  
पोस्ट इफको टाऊनशिप, बरेली-243403  
फ़ोन : 05812 404969

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 18

शर्त संख्या18-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(महारत्न कॉ. भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पॉस्ट इफेक्ट डीपॉजिट, बरेली-243403  
फोन : 05812 404009

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 19

शर्त संख्या-19, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत, गैल इण्डिया लिमिटेड  
(महानगर, भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
फास्ट ट्रैफिक टर्मिनल, बरेली-243403  
फोन : 05812 43-969



जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 20

शर्त संख्या20-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूस्वामी से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है।

  
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत ~~हस्ताक्षरकर्ता~~ लिमिटेड  
(महारत्न कॉ. भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफेक्ट डीजनेशन, बरेली-243403  
फोन : 05812 404969

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 21

शर्त संख्या21-, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, उसकी प्रति संलग्न है।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
गैल (इंडिया) लिमिटेड  
(महानगरों के भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
आवर्ता गेट नर्स बेस  
पोस्ट इफको टाउनशिप, बरेली-243403  
फोन : 05812 404969

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 23

शर्त संख्या-23, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98- एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा फाइल में दर्शाया है ,जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

⑥  
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
(पताकार एवं शासक संस्था)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफको टाउनशिप, बरेली-243403  
फोन : 05812 404969



जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 26

शर्त संख्या-26, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा / फाना संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किया जायेगा।

  
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
(पहलवल कॉ, भारत सरकार,  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफको टाउनशिप, बरेली  
फोन : 05812 45555

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 27

शर्त संख्या-27, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लिमिटेड  
(महारत्न कं. भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफको टाउनशिप, बरेली-243403  
फोन : 05812 404969

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 28

शर्त संख्या-28, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि गैल इण्डिया लिमिटेड उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी।

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
गैल (इण्डिया) लिमिटेड  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
आंचला मॉडर्न सेंस  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
फोन : 05612 403403



जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं०-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 29

शर्त संख्या-29, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग बरेली के पत्र संख्या 4749/14-1, बरेली दिनांक 10.05.2023 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य( एन० पी० वी०) की धनराशि 30,266-/- ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा की जा चुकी है। जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है।

  
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(महानगर का, भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
फोन : 06-...

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 30

शर्त संख्या-30, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 में अंकित 02 बिंदुओं में गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिंदु का अनुपालन गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

  
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

  
गैल (इण्डिया) लिमिटेड  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
ऑपेराटिंग मैनेजर  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
फोन : 0581

जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.0316 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Pipeline /153250/ 2022)

### वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 31

शर्त संख्या-31, अनुपालन में गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित है।

प्रभास कुमार  
(समिति निदेशक)  
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली  
४८ बरेली

  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(महारत्न कं. भारत सरकार)  
गैल इण्डिया लिमिटेड  
पोस्ट इफको टाउनशिप, बरेली-243408  
फोन : 05812 404969





**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड**  
**Petroleum and Natural Gas Regulatory Board**

प्रथम-तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली - 110001  
 1<sup>st</sup> Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi - 110001

PNGRB/CGD/BID/10/2018/GA/10.37/Schedule-D

29<sup>th</sup> March 2019

To,  
**Hindustan Petroleum Corporation Limited**  
**Natural Gas Department, 4th Floor, R&C Building,**  
**Sir JJ Road, Byculla,**  
**Mumbai - 400008**

(Kind Attn: Shri Dilip Kumar Pattnaik, CGM, Gas & Renewables)

**Subject: Grant of Authorisation to Hindustan Petroleum Corporation Limited for development of City Gas Distribution Network in the Geographical Area of Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts (GA 10.37).**

Sir,

With reference to submission of Performance Bank Guarantee for Rs. 50 crore vide your letter dated 28.03.2019, as per the requirement under Regulation 10 (1) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, please find enclosed authorization in Schedule D for the GA of **Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts** in duplicate.

2. The tariff applicability is as per the Judgement of Hon'ble Supreme Court of India in the SLP No. 22273 of 2012.

3. You are requested to put your stamp & signature on each page of the document and return one copy, within 7 days of receipt of this communication, to the PNGRB for records.

4. (समीर कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

The enclosed authorization issues with the approval of the Board.

Yours faithfully,

Encl: As above

तेजपाल सिंह चंडावत  
 TEJPAL SINGH CHUNDAWAT  
 प्रबंधक - गैस विभाग  
 Manager - Gas Division



Arvind Kumar  
 (Additional Adviser)

ARVIND KUMAR  
 Additional Adviser  
 Petroleum and Natural Gas Regulatory Board  
 1<sup>st</sup> Floor, World Trade Centre  
 Babar Road, New Delhi-110001



## Schedule D

Grant of authorisation for laying, building, operating or expanding CGD network

To

Hindustan Petroleum Corporation Limited,  
Natural Gas Department, 4th Floor, R&C Building,  
Sir JJ Road, Byculla,  
Mumbai - 400008

(Kind Attn: Shri Dilip Kumar Pattnaik, CGM, Gas & Renewables)

**Subject: Grant of Authorization for laying, building, operating or expanding CGD network in the authorized area of Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts in the State of Uttar Pradesh under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008**

Sir,

With reference to your application-cum-bid for grant of authorisation for laying, building, operating or expanding the City Gas Distribution (CGD) network in **GA-10.37 (Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts)** in the State of **Uttar Pradesh**, it has been decided to grant you the authorisation subject to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and the following terms and conditions, namely:-

1. The Authorised Area for laying, building, operating or expanding the proposed CGD Network shall cover an area of **9886** square kilometer and as depicted in the enclosed drawing or map,
2. The activities of laying, building, operating or expansion of the CGD Network shall commence immediately after the issuance of this authorisation.

(समीर कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

The activities permitted above shall have to be completed as per the work programme mentioned below, namely:

तेजपाल सिंह चंडावत  
TEJAPAL SINGH CHUNDAWAT  
प्रबंधक - गैस विभाग



अरविंद कुमार  
ARVIND KUMAR  
अतिरिक्त सलाहकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड  
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board  
प्लान फ्लोर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर  
4th Floor, World Trade Centre



| Serial Number | Description of work                                                                                                                  | Numbers |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1             | Number of CNG Stations (Online and Daughter Booster stations) to be installed within 8 contract years from the date of authorisation | 140     |
| 2             | Number of domestic Piped Natural Gas connections to be achieved within 8 contract years from the date of authorisation               | 145000  |
| 3             | Inch-km of steel pipeline to be laid within 8 contract years from the date of authorisation                                          | 1200    |

The entity shall be required to achieve the year-wise work programme within 8 contract years as per details given below:

| PNG Connections<br>(cumulative) |                   | CNG Stations<br>(cumulative) |                   | Inch-km of steel pipeline<br>(cumulative) |                   |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| By the end of contract year     | % of work program | By the end of contract year  | % of work program | By the end of contract year               | % of work program |
| 1 <sup>st</sup>                 | Nil               | 1 <sup>st</sup>              | Nil               | 1 <sup>st</sup>                           | 5                 |
| 2 <sup>nd</sup>                 | 10                | 2 <sup>nd</sup>              | 15                | 2 <sup>nd</sup>                           | 20                |
| 3 <sup>rd</sup>                 | 20                | 3 <sup>rd</sup>              | 30                | 3 <sup>rd</sup>                           | 40                |
| 4 <sup>th</sup>                 | 30                | 4 <sup>th</sup>              | 45                | 4 <sup>th</sup>                           | 60                |
| 5 <sup>th</sup>                 | 40                | 5 <sup>th</sup>              | 60                | 5 <sup>th</sup>                           | 70                |
| 6 <sup>th</sup>                 | 60                | 6 <sup>th</sup>              | 75                | 6 <sup>th</sup>                           | 80                |
| 7 <sup>th</sup>                 | 80                | 7 <sup>th</sup>              | 90                | 7 <sup>th</sup>                           | 90                |
| 8 <sup>th</sup>                 | 100               | 8 <sup>th</sup>              | 100               | 8 <sup>th</sup>                           | 100               |

Note - In case derived numbers are in fraction, the same shall be rounded off to the nearest whole number and 0.5 shall be rounded off to next higher whole number.

4. Any failure on the part of the entity in complying with the milestones prescribed in the work programme shall lead to consequences as specified under regulation 16.

5. The entity shall design and install an optimal size of the infrastructure in terms of pipelines of various types including steel belting of the authorised area, online compressors of adequate capacity for compressing of natural gas into CNG, allied equipment and facilities in the CGD network depending upon the potential demand for natural gas. The infrastructure in the CGD network should be adequate to maintain uninterrupted flow of natural gas in the pipelines and be also able to maintain supplies at adequate pressure to online CNG stations.

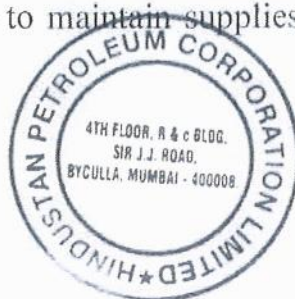
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

तेजपाल सिंह चुंडावत

TEJPAL SINGH CHUNDAWAT

प्रबंधक - गैस विभाग



अतिरिक्त समीर  
ARVIND KUMAR  
अतिरिक्त निदेशक  
Additional Adviser

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग, गैस  
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board  
1st Floor, World Trade Centre  
जवाहर रोड, नई दिल्ली - 110001  
Jawahar Road, New Delhi-110001



6. The entity shall maintain an uninterrupted supply of natural gas to all categories of customers in the CGD network. In the event of any disruption in the supply of natural gas in the CGD Network, first priority shall be accorded to restoration of supplies to domestic PNG customers. In case of disruption of supply to domestic PNG customers for more than twelve hours, the entity shall compensate the domestic customer on the following manner, namely: -

- (a) the normative volume of natural gas consumption for the first domestic PNG connection for cooking requirements based on last three months weighted average consumption per day to be applied for each day's disruption and multiplied by ten;
- (b) normative value of natural gas consumption shall be based on last three months' weighted average billing price of natural gas for supplies to the first domestic PNG connection for cooking requirements; and
- (c) the value of compensation shall be equal to normative volume of natural gas consumption as per clause (a) above multiplied by normative value as per clause (b) and shall be adjusted by allowing a credit to the domestic PNG Customer in the next billing cycle or in the next pre-paid smart card in case of smart card metering.

In case the disruption of supplies is attributed to any fault of the domestic PNG customer, no compensation shall be payable by the entity.

7. The entity is allowed an exclusivity period under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, in respect of the following, namely:

- (a) 300 months from the date of issue of this communication for laying, building and expansion of the CGD network; and
- (b) 96 months from the date of issue of this communication in terms of an exemption from the purview of common carrier or contract carrier for the CGD network:

६  
(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

Provided that the entity meets the obligations in line with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulation, 2008.

तेजपाल सिंह  
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT  
प्रबंधक - गैस विभाग  
Manager - Gas Division



अरविंद कुमार  
ARVIND KUMAR  
अतिरिक्त सलाहकार  
अतिरिक्त सलाहकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड  
101 Floor, World Trade Centre  
101 Floor, World Trade Centre  
Mumbai, India - 400008



Provided further that the period of exclusivity allowed under sub-clause (a) or sub-clause (b) may be terminated before the expiry of the period mentioned above in line with the provisions under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

8. The authorised entity shall be required to take prior approval from the Board for creation of any lien, charge or hypothecation of the CGD network to secure finances for the project and furnish details of utilisation of funds. And, in case of raising funds from any financial institution or bank, the entity will be required to only inform the Board of the sanction of the funds within a period of seven days.

9. The entity shall submit a detailed and clear financial closure report to the Board within a period of two hundred and seventy days from the date of authorisation issued by the Board under regulation 10.

10. The entity shall publish on its website the transportation rate for CGD and transportation rate for CNG in the authorised area as per the following table namely: -

| Serial Number | Description                                                                                                      | Rate |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1             | Transportation rate for CGD - in rupees per million British Thermal Unit (Rs./MMBTU) for the first contract year | 30   |
| 2             | Transportation rate for CNG - in rupees per kilogram (Rs. /kg) for the first contract year                       | 2    |

Note - Annual escalation shall be considered from the second contract year and onwards based on the "Wholesale Price Index (WPI) Data (2011-12 = 100)" for "All Group / Commodity", as normally available on the website of the Office of the Economic Adviser, Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) on the link "<http://eaindustry.nic.in/home.asp>."

(समीर कुमार)

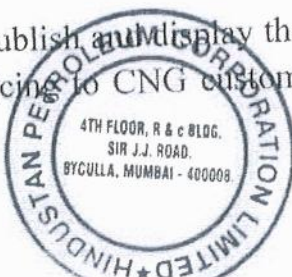
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

11. The entity shall publish the applicable retail selling price of PNG for all categories of customers and also for the purpose of invoicing in Rs. / MMBTU.

12. The entity shall publish and display the retail selling price of natural gas for the purpose of invoicing to CNG customers in Rs. / Kg at all natural gas dispensing stations.

तेजपाल सिंह चुंडावत  
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT  
प्रबंधक - गैस निभान



अरविन्द कुमार  
ARVIND KUMAR  
अतिरिक्त सलाहकार  
Additional Advisor  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियंत्रण बोर्ड  
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board



13. The furnishing of performance bond of Rs. 500 Million is a guarantee for timely commissioning of the project as per the prescribed work programme in the bid and for meeting the service obligations during the operating phase of the project.

14. The entity shall comply with the applicable provisions under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards, any other regulations as may be applicable and the provisions of the Act.

15. In case the authorisation of the entity is terminated, the Board may assign the rights and obligations of the entity to any agency or another entity on such terms and conditions, as it may deem fit. Further, the entity may be required, as per the directions of the Board, to continue the operations of the CGD network at the same level till another agency or entity appointed by the Board takes over the full control of the CGD network.

16. The entity shall comply with any other term or condition which may be notified by the Board in public interest from time to time.

You are requested to confirm your acceptance by filling-in the acceptance of the grant of authorisation provided below and return the same in original.

Yours faithfully,

Dated:

(समीर कुमार)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

Name and Designation of Officer  
On behalf of the PNGRB

*Tejpal*  
तेजपाल सिंह चण्डावत  
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT  
प्रबंधक - गैस विभाग  
Manager - Gas Division



Official Seal

अतिरिक्त सलाहकार  
ARVIND KUMAR  
अपर सलाहकार  
Additional Adviser  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड  
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board  
प्रभाग, तृतीय, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर  
1st Floor, World Trade Centre  
बार्क रोड, नई दिल्ली-110001  
Bark Road, New Delhi-110001



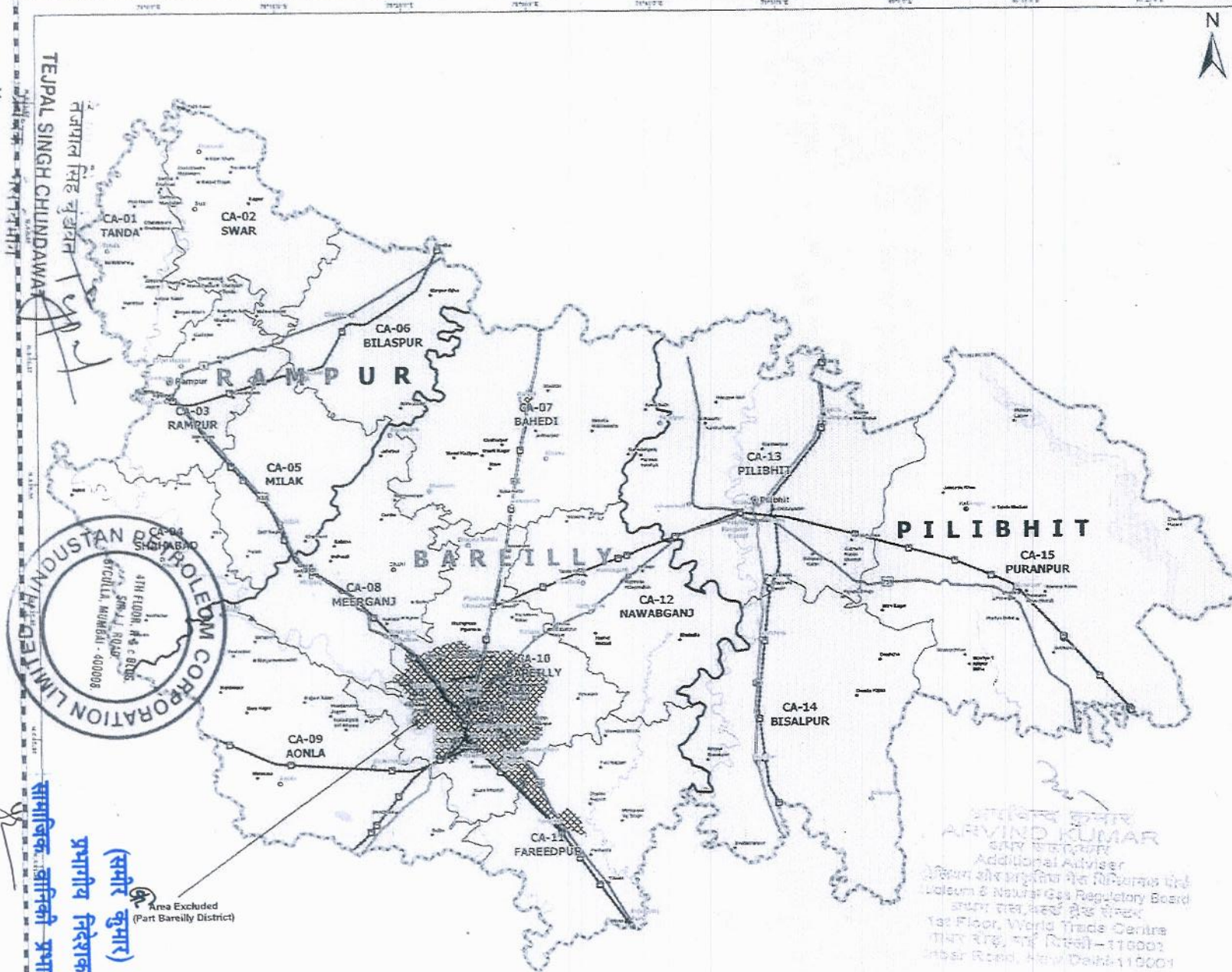
Manuscript No. 1000

सांमाजिक, वानिकी प्रभाग, बरेली

(समीर कुमार)

प्रभागीय निर्देशांक

Area Excluded  
Part Bareilly District)



### KEY MAP



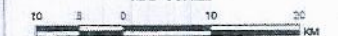
|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Total Geographical Area (Sq Km) | 9,885     |
| No. of Charge Area              | 15        |
| Total Household                 | 12,06,337 |
| Total Population                | 75,14,650 |

| CHARGE AREA ID | NAME           | CHARGE AREA ID | NAME            |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| CA-01          | Tandra         | CA-09          | Aonla           |
| CA-02          | Swar           | CA-10          | Sareilly (Part) |
| CA-03          | Ramour         | CA-11          | Fatehpur        |
| CA-04          | Shahabad       | CA-12          | Nawabganj       |
| CA-05          | Mitak          | CA-13          | Pilibhit        |
| CA-06          | Ritpur         | CA-14          | Bisalpur        |
| CA-07          | Byahedi        | CA-15          | Purnaur         |
| CA-08          | Munwari (Part) |                |                 |

LEGEND

| VECTOR                                                                                | LANDMARK                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |
| DISTRICT HEADQUARTER                                                                  | RAILWAY STATION                                                                     |
|  |                                                                                     |
| TOWN                                                                                  |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| VILLAGE WITH POPULATION<br>5000 AND ABOVE                                             |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| NATIONAL HIGHWAY                                                                      |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| STATE HIGHWAY                                                                         |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| RAILWAY                                                                               |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| GA BOUNDARY                                                                           |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| DISTRICT BOUNDARY                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| CHARGE AREA BOUNDARY                                                                  |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| WATER BODY                                                                            |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| AREA EXCLUDED                                                                         |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| INDUSTRIAL AREA                                                                       |                                                                                     |

MAP SCALE



**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**  
1st Floor, World Trade Centre, Barabar Road, New Delhi-110001

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Map No.   | 2018/10.37                                                                               |
| Date      | Nov-18                                                                                   |
| Map Title | Geographical Area Bareilly (Except area already authorized Pilibhit and Rampur Districts |



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।  
पत्रांक / 14-1, बरेली, दिनांक, 27 मई, 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा)  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0316 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक शून्य वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।

(Online Proposal No. FP/UP/Pipeline/153250/2022)

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 11-सी-3340 FP/UP/Pipeline/153250/2022, दिनांक 20.04.2023 के द्वारा प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 995/81-2-2023-800(387)/2022 दिनांक 13.04.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश पत्र दिनांक 13.04.2023 के बिन्दु संख्या 29 के अनुसार धनराशि प्रस्तावक/ गेल (इण्डिया) लि0 के पत्र दिनांक 25.05.2023 के द्वारा NEFT/RTGS द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान के माध्यम कैम्पा खाते में निम्नवत जमा की गयी है।

शर्त संख्या :- 29 के अनुसार भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की आंकलित धनराशि मु0रु0 1,37,720.00 कुल धनराशि रु0 30,266.00 NEFT/RTGS के द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा खाते में जमा किया गया है। उक्त धनराशि का UTR No. SBIN423142968052 Dt. 22-05-2023 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा जमा की गई है। ऑन लाईन प्राप्त पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त जमा धनराशि की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूपों में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(समीर कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक 4958 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

02. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त, बरेली।

03. मुख्य प्रबन्धक, गेल (इण्डिया) लि0, एच0वी0जे0, कम्प्रेसर स्टेशन, विबियापुर, पोस्ट-विबियापुर, जिला औरैया, उ0प्र0-206244

(समीर कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

( F/-( Surveyor सर्वेयर ) FLT/ CUGL Quality - Ps)



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।  
पत्रांक /14-1, बरेली, दिनांक, 27 मई, 2023 ।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा)  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैंप मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0316 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक शून्य वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।

(Online Proposal No. FP/UP/Pipeline/153250/2022)

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 11-सी-3340FP/UP/Pipeline/153250/2022, दिनांक 20.04.2023 के द्वारा प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 995/81-2-2023-800(387)/2022 दिनांक 13.04.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश पत्र दिनांक 13.04.2023 के विन्दु संख्या 29 के अनुसार धनराशि प्रस्तावक/ गेल (इण्डिया) लि0 के पत्र दिनांक 25.05.2023 के द्वारा NEFT/RTGS द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान के माध्यम कैम्पा खाते में निम्नवत जमा की गयी है।

शर्त संख्या :- 29 के अनुसार भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की आंकलित धनराशि मु0रु0 1,37,720.00 कुल धनराशि रु0 30,266.00 NEFT/RTGS के द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा खाते में जमा किया गया है। उक्त धनराशि का UTR No. SBIN423142968052 Dt. 22-05-2023 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा जमा की गई है। ऑन लाईन प्राप्त पेमेन्ट हिस्ट्री की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त जमा धनराशि की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूपों में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

( समीर कुमार )

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक 4958 /14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
02. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त, बरेली।
03. मुख्य प्रबन्धक, गेल (इण्डिया) लि0, एच0वी0जे0, कम्प्रेसर स्टेशन, विबियापुर, पोस्ट-विबियापुर, जिला औरैया, उ0प्र0-206244

( समीर कुमार )

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।  
पत्रांक 4958 /14-1, बरेली, दिनांक, 27 मई, 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा)  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद बरेली में चौबारी से एच0पी0सी0एल0 सी0जी0एस0 स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी0 भूमिगत गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0316 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक शून्य वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।

(Online Proposal No. FP/UP/Pipeline/153250/2022)  
सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 11-सी-3340FP/UP/Pipeline/153250/2022, दिनांक 20.04.2023 के द्वारा प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 995/81-2-2023-800(387)/2022 दिनांक 13.04.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश पत्र दिनांक 13.04.2023 के बिन्दु संख्या 29 के अनुसार धनराशि प्रस्तावक/ गेल (इण्डिया) लि0 के पत्र दिनांक 25.05.2023 के द्वारा NEFT/RTGS द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान के माध्यम कैम्पा खाते में निम्नवत जमा की गयी है।

शर्त संख्या :- 29 के अनुसार भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की आंकलित धनराशि मु0रु0 1,37,720.00 कुल धनराशि रु0 30,266.00 NEFT/RTGS के द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा खाते में जमा किया गया है। उक्त धनराशि का UTR No. SBIN423142968052 Dt. 22-05-2023 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा जमा की गई है। ऑन लाईन प्राप्त पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त जमा धनराशि की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूपों में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,



(समीर कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक /14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
02. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त, बरेली।
03. मुख्य प्रबन्धक, गेल (इण्डिया) लि0, एच0वी0जे0, कम्प्रेसर स्टेशन, विबियापुर, पोस्ट-विबियापुर, जिला औरैया, उ0प्र0-206244

(समीर कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।



(( Proforma-02 ))

**Forest & Wild Life Division, Bareilly.**

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Name of Regional office                                                                                              | Conservator of forest ,Forest & Wild Life,Bareilly Circle,Bareilly                                                                                      |
| 2  | State/Distt./Forest Division to which the proposal relates                                                           | UP/Bareilly/ Forest & Wild Life Division,Bareilly                                                                                                       |
| 3  | Name of user agency, nature of proposal.                                                                             | <b>Diversion of 0.0316 Ha of Protected Forest Land in Bareilly District for LMC GAIL SV 11 Chaubari to HPCL CGS Station of total length of 0.785 Km</b> |
| 4  | Extent of forest area involved                                                                                       | 0.0316 Ha.                                                                                                                                              |
| 5  | Whether original, or Extension                                                                                       | Original                                                                                                                                                |
| 6  | If Extension of lease,pl. clarify if proposal involves additional area, and if so, specify                           | No.                                                                                                                                                     |
| 7  | Date of Ist. Stage clearance                                                                                         | 14/04/2023                                                                                                                                              |
| 8  | Extent of CAMPA charges, head wise viz:                                                                              |                                                                                                                                                         |
|    | (a). Compensatory Afforestation                                                                                      | -                                                                                                                                                       |
|    | (b). Additional CA                                                                                                   | -                                                                                                                                                       |
|    | (c). Penal CA                                                                                                        | -                                                                                                                                                       |
|    | (d). Catchment Area Treatment                                                                                        | -                                                                                                                                                       |
|    | (e).Wildlife Management Plan                                                                                         | -                                                                                                                                                       |
|    | (f). Additional charges for diversion of area falling under notified/protected areas                                 | -                                                                                                                                                       |
|    | (g). Net Present Value                                                                                               | <b>Rs.30,266.00</b>                                                                                                                                     |
|    | (h). Any other charges/levies(pl. Specify) Muk disposal                                                              | -                                                                                                                                                       |
| 9  | Details of Bank(Bank,Draft No.,Date & Amount) Head-wise against items indicated in paragraph & above.                | Through NEFT/RTGS, E-Portal                                                                                                                             |
| 10 | Whether deposited by RTGS,if so, the particulars & Date of remittance                                                | Yes. Fund Deposited through NEFT/RTGS E-Portal As per Detailed under.<br>1. NPV:- Rs. 30,266.00 Through E Challan Online Generated                      |
| 11 | Bank (Corporation Bank, Lodhi complex/union Bank of India,Sundar Nagar) in which deposited , With date of deposition | Corporation Bank New Dehli                                                                                                                              |
| 12 | Any other remarks                                                                                                    | Online Payment History is enclosed. As Above                                                                                                            |

( Samir Kumar )

Divisional Director

Forest & Wild Life Division,Bareilly

(Forest Land Transfar XL-SUR,Atv)

| Profarma-1<br>( For the project granted in- principle approval (stage-1) on or after 13-04-2003) |                                                                                                                                                 |          |                                                               |                |                      |                                                |                                                                                  |          |       |               |                          |       |                 |                                                                                                             |                                                           |          |       |                 |                                               |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|--------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
| S. NO.                                                                                           | Name of projects                                                                                                                                | District | Order no. & date of                                           |                | Area involved in hac | Amount Receiveds, spent & balanced (till date) |                                                                                  |          |       |               |                          |       |                 |                                                                                                             |                                                           |          |       | Interest Earend | Total amount Available for (7+10+13+14+17+18) | Remarks |                 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                 |          | In principal (stage-1) approval                               | Final approval |                      | NPV                                            | Compensatory Afforestation (ca) add CA panal CA ( give comonent wise detatills ) |          |       |               | Catchment area Treatment |       |                 | As per the condition if any of the supreme court/NB WL in the respect of national park / wild life sentuary | Other scheme if any as per the condition of gov- of India |          |       |                 |                                               |         |                 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                 |          |                                                               |                |                      |                                                | Received                                                                         | Received | Spent | Balance (8-9) | Received                 | Spent | Balance (11-12) |                                                                                                             | Received                                                  | Received | Spent |                 |                                               |         | Balance (15-16) |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                               | 3        | 4                                                             | 5              | 6                    | 7                                              | 8                                                                                | 9        | 10    | 11            | 12                       | 13    | 14              | 15                                                                                                          | 16                                                        | 17       | 18    | 19              | 20                                            |         |                 |
| 1                                                                                                | Division of 0.0316 Ha of Protected Forest Land in Bareilly District for LMC GAIL SV II Chaubari to HPCL CGS Station of total length of 0.785 Km | BAREILLY | UP Govt Letter no P-995/81-2-2023-800(387)/2022 dt 13.04.2023 | 0              | 0.031600             | 30,266.00                                      | 0.00                                                                             | 0        | 0.00  | 0             | 0                        | 0     | 0               | 0.00                                                                                                        | 0                                                         | 0.00     | 0     | 30,266.00       |                                               |         |                 |